हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ परवतसर ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखा है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11.12.19 को पेश हो वकुलाय अनुपस्थित। जवाब वास्ते बार-बार समय दिया जा चुका है अतः अंतिम अवसर और दिया जाता है पूर्व में जारी स्थगन आदेश यथावत पत्रावली दिनांक 8.1.2020 को प्रस्तुत हो।	
8/1/20 वकुलाय उप० जबाब हेतु समय चाहते हैं। पूर्व में 4 अवसर दिये जा चुके हैं एक अंतिम अवसर और दिया जाता है। मि० दि० 27/1/20 को पेश हो।	
27/1/20 वकुलाय उपष्य जबाब हेतु आज भी समय चाहते हैं पूर्व में अंतिम अवसर दिया जा चुका है आगे और समय नहीं दिया जा सकता जबाब बन्द किया जाता है। मि० वास्ते बहस हेतु दिनांक 25/2/20 को पेश हो।	
25/2/20 वकुलाय उप०। बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम आवला के ख०नं० 729, 756, कुल रकबा 2.47 हैक्टयर स्थित है जिसमें 1/5 हिस्सा प्रार्थी का 1/5 हिस्सा अप्रार्थी 1 से 3 का, 1/5 हिस्सा अप्रार्थी 4 व 5 का, 1/5 हिस्सा अप्रार्थी 6 से 8 का एवं 1/5 हिस्सा अप्रार्थी 9 से 11 का है विवादित भूमि पैतृक भूमि है। जिसका मौके व रिकार्ड में बंटवारा नहीं हो रखा है प्रार्थी ने अपनी हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कराने हेतु वाद पेश कर रखा है जिसके निर्णय तक भूमि खुर्द-बुर्द नहीं हो और पक्षकारों में भी कोई नया विवाद एवं मुकदमे बाजी नहीं हो जिससे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने P.T.O.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वकालतनामा पेश किया। बार-बार जबाब हेतु समय दिया जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने पर दिनांक 27.1.20 को जबाब बन्द किया गया। बकाया के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के अनुसार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। जो संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा हैं। वादी ने यानि प्रार्थी ने खातेदारी में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा हेतु वाद पेश कर रखा हैं। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार हैं जिसको अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकार हैं अत विवादित भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा हैं। बंटवारे का वाद विचाराधीन हैं। जिसके निर्णय तक विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो तथा इस भूमि को लेकर पक्षकारो में कोई नया विवाद पैदा नहीं हो तथा भूमि के उपभोग में भी किसी पक्षकार को बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसलिये उभय पक्षकारो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अत: उभय पक्षकारान को वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि ग्राम जावला के ख.नं. 729, 756 कुल रकबा 2.47 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]